1982

(S)

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-3/2013 **Order** Dated Shimla-171002, the

Sub:- Diversion of 3.6414 hectare of forest land in favour of M/s Kanchanjunga Power Company Pvt. Ltd, for laying of 33 KV Transmissin line from Baragaon Power House to Fozal Sub-Station, within the jurisdiction of Kullu Forest Division, Distt. Kullu, Himachal Pradesh.

भारत सरकार पर्यावरण एंव वन मन्त्रालय उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अर्न्तगत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **9–HPB612/2012 – CHA दिनांक 01-08-2013** के परिणामस्वरुप राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित 3.6414 hectare वन भूमि को M/s Kanchanjunga Power Company Private Ltd, B-37, 3rd Floor, Sector-1, Noida, Distt. Gautam Budh Nagar (UP), को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्ते पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी।
2. कम से कम वृक्ष कटवायें जायेंगे जिनकी सख्या प्रस्ताव के अनुसार **दो सौ आठ** वृक्षों से अधिक नही होगी।
3. प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार 2/36 Goggal में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त रुपये 10,41,495/-**(दस लाख इकतालीस हजार चार सौ पिचानवे मात्र)** की राशि से कुल **7.50** हैक्टेयर वन भूमि में पौधे लगाकर किया जायेगा। **प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।**
4. साथ लगते वन क्षेत्र को किसी भी प्रकार का नुकसान नही पहुंचाया जाएगा। तथा वन क्षेत्र की स्थिरता के लिये सभी सुरक्षा ऊपाय / पूर्व ऊपाय दृढतापूर्वक किये जायेंगे।
5. प्रयोत्ता एजेंसी 6 मीटर से अधिक मार्गाधिकार का इस्तेमाल नही करेगी और 6 मीटर मार्गाधिकार से बाहर कोई भी वृक्ष कांट छांट नही किया जायेगा। Stringing के दौरान भी 6 मीटर से अधिक मार्गाधिकार को इस्तेमाल नही करने दिया जायेगा।
6. प्रत्येक कंडक्टर के नीचे टैंशन सटरिंजिंग उपकरण लगाने के लिए **3** मीटर चौड़ी पट्टी में निकासी की अनुमति प्रदान की जायेगी, परन्तु सटरिंजिंग कार्य खत्म होने पर प्राकृतिक सम्पोषण होने दिया जाएगा। कंडक्टर तथा पेडों के बीच का फासला कम से कम **2.25** मीटर होना चाहिए। कंडक्टरों के झुकाव तथा झोल को ध्यान में रखा जायेगा। बिजली की निकासी बनाये रखने के लिए जब कभी आवश्यक होगा तो पेडों की कांट छांट का कार्य केवल 6 मीटर ROW में स्थानीय वन मण्डल अधिकारी की अनुमति से किया जाएगा। ट्रांसमिशन लाईन की मार्गाधिकार में नीचे छोटे कद के पौधों मुख्य रुप से औशधीय पौधों की प्लांटेशन प्रयोक्ता एजेंसी के खर्च पर की जाएगी।
7. No labour camp shall be established on the forest land.

-2-

S/FCA

APCCF (FCA)

PCCF 9/9

2748
11/9/13

9/9

8 The User Agency shall provide alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.

9 The user agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the flora and fauna available in the area.

10 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।

11 यदि कोई अन्य संबधित / अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश /अनुदश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

12 A lease- deed of the forest land shall be executed by the user agency with Collector-cum-Deputy Commissioner, District Kullu.

उपरोक्त निर्माण में जो भी वृक्ष आयेंगें उन्हे हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम द्वारा हटाया जायेगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नही पाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित / रद्द कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी ।

आदेश अनुसार
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला –2

Endst. NoFFE-B-F(2)-3/2013 (FCA) Dated,Shimla-171001
the,... 9-9-13

Copy is forwarded to :-

1. Assistant Inspector General of Forests, MoEF, Paryavaran Bhawan, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi – 110510.
2. Additional PCCF (Central), Regional Office, Govt. of India, Ministry of Environment and Forests, Bays No.24- 25, Sector-31 –A, Chandigarh- 160030.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer –cum- Addl. Pr. CCF (FCA), Forest Department, Himachal Pradesh, Shimla-171001
5. The Deputy Commissioner, Kullu, Distt, Kullu, Himachal Pradesh .
6. M/s Kanchanjunga Power Company Private Ltd, B-37, 3rd Floor, Sector-1,Noida, Distt. Gautam Budh Nagar (UP).
7. CCF,Kullu /DFO, Kullu Forest Division & Distt. Kullu ,H.P.
8. Guard File.

Under Secretary (Forests) to the
Govt. of Himachal Pradesh.